नि:शुल्क प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः- 09.08.2021

माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक संख्या 1838/एसएलएसए-49/2016(हैदर/आर0के0एम0) दिनांकित 02.08.2021 के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जनपद रायबरेली में गठित स्थायी लोक अदालत धारा 22 बी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत जन उपयोगी सेवाओं, यातायात सेवाओं, डाकतार टेलीफोन सेवा, विद्युत प्रकास व जल सेवा लोक सफाई व स्वच्छता प्रणाली सेवा अस्पताल व औषधि सेवा एवं बीमा सेवा के निस्ताणार्थ गठित स्थायी लोक अदालत जनपद रायबरेली में एक सदस्य का पद रिक्त है जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है।

सदस्य पद हेतु अधिकतम पांच वर्ष के लिए चयन किया जाना है, जिसके लिए एक निर्धारित मानदेय मु0 1500/-प्रति बैठक एवं 5000/-प्रतिमाह सवारी भत्ता देय होगा।

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या 1838/एसएलएसए-49/2016(हैदर/आर0के0एम0) दिनांकित 02.08.2021 के निर्देशानुसार उपरोक्त पदों हेतु पदधारण के समय आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उक्त पदों हेतु आवेदक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक मामले पंजीकृत/लंबित/दण्डित न हों, के सम्वन्ध में शपथपत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

उपरोक्त पद के आवेदन हेतु इच्छुक व्यक्ति निर्धारित प्रारुप पर अपना आवेदन भरकर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली में रजिस्टर्ड डाक से अथवा व्यक्तिगत रुप से भेजा जाना सुनिश्चित करें।

आवेदन की अन्तिम तिथि 07.09.2021 है। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नकः- आवेदन पत्र का प्रारुप।

नोटः- उक्त आवेदन पत्र जनपद न्यायालय, रायवरेली की निम्न वेबसाइट http://districts.ecourt.gov.in/raebareli पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है।

09/8/2021

प्रभारी सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
रायबरेली।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
रायबरेली